FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

Ceiling Rev.Case No.- 06/08-09

Md. Idrish & Ors ……..Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors………..Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.8.2025	आदेश	

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, पूर्णिया के सिलिंग अपील वाद सं0–19/2005 में दिनांक-16.1.2008 को पारित आदेश तथा इस न्यायालय में दायर सिलिंग पुनरीक्षण वाद सं0–06/2008-09 में दिनांक-11.6.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में दायर वाद सं0-337/2015 में दिनांक-31.3.2016 को पारित आदेश के आलोक में पुनः दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Written Statement के रूप में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, विपक्षीगण का Written Statement आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर बटाईदार के वारिसान होने के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्षीगण द्वारा उनके पक्ष में लाल कार्ड के आधार पर प्रश्नगत जमीन के बंदोबस्ती होने का दावा किया जा रहा है। कागजातों के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि Land Ceiling Case No-91/66-67 की कार्रवाई के तहत प्रश्नगत जमीन को सिलिंग सरप्लस घोषित किया गया। तथा सरकारी प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण को प्रश्नगत सिलिंग सरप्लस जमीन का बंदोबस्ती पर्चा (लाल कार्ड) दिया गया। Ceiling Proceedings के दौरान अपीलार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने का कोई प्रमाण सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि अपीलार्थी/पूर्वज उक्त सिलिंग केस की कार्रवाई में निर्धारित Cut off date को विधिमान्य रूप से प्रश्नगत जमीन के बटाईदार Declared थे अथवा प्रश्नगत जमीन पर उनका Legal Title/Right था। जैसा कि उनका दावा है। किसी भी Legal Court Proceedings में अपना पक्ष नहीं रखना तथा कालान्तर में दावा करने के आधार पर Post facto Relief विधिमान्य नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से विपक्षीगण का उपरोक्त बंदोबस्ती पर्चा (लाल कार्ड) को विधिमान्य नहीं मानने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

अतः उपरोक्त Findings के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, पूर्णिया) के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए विधिसम्मत आदेश (16.1.2008) पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

08/8/2025.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

08/8/2025.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।